न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी–नरेश कुमार शर्मा

आई0ए0एस0

प्रा0पत्र सं0 16/2016

राज्य सरकार जरिये जगदीश प्रसाद शर्मा प्रवर्तन निरीक्षक, सिकराय ..प्रार्थी

बनाम

1. श्री रामस्वरूप मीणा उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत ठीकरियां तहसील सिकराय
2. श्री कैलाश चंद पुत्र श्री गोकुल राम प्रजापत निवासी ग्राम पंचायत ठीकरिया तहसील सिकराय

..अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 6ए

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थित: 1. श्री कन्हैया लाल रैगर, प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार

<u>निर्णय</u> दिनांक: 07.11.2017

सक्षिप्त विवरण प्रा0 पत्र 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 इस प्रकार है कि प्रवर्तन निरीक्षक, सिकराय द्वारा दिनांक 22.12.2016 को 16 क्वि0 गेहूँ मय बारदाना व टाटा 407 गाडी नंबर आरजे 29 जी–0784 को जब्त की जाकर जब्त किये गये 16 क्वि0 गेहूँ मय बारदाना को राजसात करने हेतु निवेदन किया ।

प्रा0 पत्र 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 दर्ज रजिस्टर किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

पैरोकार सरकार की बहस में दलील है कि राशन डीलर की शिकायत प्राप्त होने पर दिनांक 22.12.2016 को थाना मेहन्दीपुर बालाजी के थानाधिकरी श्री राजीव डूडी ने दूरभाष /तहरीर पर सूचना दी कि ग्राम पंचायत ठीकरिया तहसील सिकराय के राशन डीलर श्री रामस्वरूप मीणा द्वारा खाद्य सुरक्षायोजना के गेहूं को कालाबाजारी हेतु वाहन टाटा 407 नंबर आर0जे0 29 जी–0784 में भरकर ले जाया जा रहा है। जिसे ग्राम पट्टी सलेहसिंह में हेड कांस्टेबल श्री बाबूलाल के नेतृत्व में वाहन चालक श्री कैलाश चंद पुत्र श्री गोकुल राम जाति प्रजापत उम्र 42 वर्ष निवासी ठीकरिया को वाहन में गेहूं से भरे 32 कट्टो के साथ पकडकर पुलिस थाना परिसर मानपुर में ले आये है। श्रीमान जिला रसद अधिकारी, दौसा के निर्देशानुसार पकडे गये गेहूं की जांच मौके पर जाकर की गई। जांच दौरान निम्न तथ्य/अनियमितताए पाई गई:–

1. मौके पर थाना परिसर मानपुर में टाटा 407 गाडी नंबर आर0जे0 29 जी–0784 में एफसीआई मार्का के 32 कट्टो में गेहू भरा पाया गया जिनकी सिलाई मशीन से होनी पाई गई। कुल 32 कट्टो का वजन 16 क्वि0 पाया गया।

2. मौके पर टाटा 407 गाडी नंबर आर0जे0 29 जी--0784 के वाहन चालक श्री कैलाश चंद पुत्र श्री गोकुल राम प्रजापत से पूछताछ पर बताया कि मैने यह गेहूं ग्राम पंचायत ठीकरिया के राशन डीलर श्री रामस्वरूप मीणा की ग्राम ठीकरियां में स्थित उचित मूल्य दुकान से भरा है जिसे बाजार में विक्रय करने हेतु ले जा रहा हॅं। इस हेतु मैने राशन डीलर से किराया लिया है।

3.मौके पर थानाधिकारी मेहन्दीपुर बालाजी श्री राजीव कुमार ने तहरीर प्रस्तुत की जिसके अनुसार यह पकडे गये गेहूं राशन डीलर श्री रामस्वरूप मीणा का होना बताया।

4. ग्राम ठीकरिया के उचित मूल्य दुकानदार श्री रामस्वरूप मीणा की उचित मूल्य दुकान पर जाकर जांच करने पर वस्तुस्थिति निम्नानुसार पाई गई:–

(अ) राशन डीलर द्वारा मौके पर प्रस्तुत स्टॉक रजिस्टरो का नियमित संधारण नही किया जाना पाया गया।

(ब) मौके पर राशन सामग्री का भौतिकी सत्यापन करने पर स्थिति के अनुसार गेहूं 451 किग्रा चीनी 150 किग्रा केरोसीन तेल 200 लीटर पाया गया।

(स) मौके पर राशन डीलर द्वारा पोस मशीन से किये गये वितरण की रिपोर्ट निकालकर प्रस्तुत करने में असमर्थ पाया गया।

(द) उचित मूल्य दुकान (एफपीएस कोड 20962) पर माह सितम्बर 2016, से दिसम्बर 2016 में राशन सामग्री आवंटन, वितरण व शेष स्टॉक का विवरण निम्नानुसार है– माह सितम्बर 2016 से दिसम्बर 2016 में आवंटन गेहूं 203.14 वास्तविक उठाव 217.61 क्वि0 केरोसीन 1900 लीटर चीनी 3.35 क्वि0, वितरण मे 93.63 क्वि0 गेहूं 802 केरोसीन लीटर 0.79 चीनी क्वि0 भौतिक सत्यापन में 4.51 क्वि0 गेहूं 200 केरोसीन लीटर 1.50 चीनी क्वि0 के आधार पर राशन डीलर के पास भौतिक सत्यापन पर 119.51 क्वि0 गेहूं 898 लीटर केरोसीन व 1.06 क्विं0 चीनी कम पाया गया है इससे स्पष्ट है कि उचित मूल्य दुकानदार द्वारा उक्त कम पाई राशन सामग्री की कालाबाजारी व राशन सामग्री का दुरूपयोग किया गया है। 5. मौके पर जब्त किये गये 16 क्विं0 गेहूं व टाटा 407 गाडी नंबर आर0जे0 29 जी–0784 को जब्त सरकार करते हुयें गेहूं को मय बारदाना ग्राम पंचायत सिकन्दरा के उचित मूल्य दुकानदार श्री विनोद कुमार सैनी को व वाहन टाटा 407 गाडी नंबर आर0जे0 29 जी–0784 को थानाधिकारी मेहन्दीपुर बालाजी को सुपुर्दगी में दिया गया। डीलर के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 192/2016 दिनांक 27.12. 2016 को को थाना मेहंदीपुरा बालाजी में दर्ज करवाई जा चुकी है, जो विचाराधीन है। इस प्रकार डीलर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 20 व जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 4,5,6,11 व अन्य का स्पष्ट उल्लंघन किया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 के तहत दण्डनीय है। अतः जब्तशुदा किया गया 16 क्वि गेहॅू मय बारदाना को राजसात करने के आदेश प्रदान करावें।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी उपस्थित नहीं आये। प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण करना उचित समझते हुए पैरोकार सरकार की इकरफा बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि दिनांक 22.12.2016 को थानाधिकरी मेहन्दीपुर बालाजी की सूचना पर प्रवर्तन निरीक्षक

सिकराय द्वारा पिकअप में भरे 32 कट्टो के साथ पकडे गये गेहूं की जांच मौके पर जाकर की गई। जिनका वजन 16 क्वि0 पाया गया। वाहन चालक से पूछताछ/बयान लेने पर उसने उक्त गेहूँ ग्राम पंचायत ठीकरिया के राशन डीलर श्री रामस्वरूप मीणा की ग्राम ठीकरियां में स्थित उचित मूल्य दुकान से भरा होना बताया जाकर गेहूँ को बाजार में विक्रय करने हेतु ले जाना बताया। साथ ही इसकी पुष्टि हेतु उचित मूल्य दुकानदार श्री रामस्वरूप मीणा की उचित मूल्य दुकान पर जाकर जांच की गई जिसमें स्टॉक रजिस्टरो का नियमित संधारण नही होना, मौके पर राशन सामग्री का भौतिकी सत्यापन करने पर स्थिति के अनुसार गेहूं 451 किग्रा चीनी 150 किग्रा केरोसीन तेल 200 लीटर पाया गया। तथा माह सितम्बर 2016, से दिसम्बर 2016 में राशन सामग्री आवंटन, वितरण व शेष स्टॉक की जॉच करने पर भौतिक सत्यापन पर 119.51 क्वि0 गेहूं 898 लीटर केरोसीन व 1.06 क्विं0 चीनी कम पाया गया है इससे स्पष्ट है कि उचित मूल्य दुकानदार द्वारा उक्त कम पाई राशन सामग्री की कालाबाजारी व राशन सामग्री का दुरूपयोग किया गया है। वाहन टाटा 407 गाडी नंबर आर0जे0 29 जी–0784 को इस न्यायालय द्वारा 11.01.2017 को श्री कैलाश चंद पुत्र श्री गोकुल राम प्रजापत निवासी ग्राम पंचायत ठीकरिया तहसील सिकराय को सुपुर्दगी में दिया जा चुका है। सुपुर्दगी के पेटे दिये गये जमानत मुचलके निरस्त किये जाकर वाहन जब्ती से मुक्त किया जाता है। डीलर के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 192/2016 दिनांक 27.12.2016 थाना मेहंदीपुरा बालाजी में दर्ज करवाई जा चुकी है, जो विचारण है। मौके की जॉच फर्द जब्ती, बयान गवाह व बिल बाउचर से यह स्पष्ट है कि डीलर द्वारा उक्त कार्य कालाबाजारी कर राशन की सामग्री बाजार में बेचकर अधिक मुनाफा कमाने की गरज से किया गया है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार डीलर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 20 व जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 4,5,6,11 का स्पष्ट उल्लंघन किया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय है। अतः जब्तशुदा किया गया 16 क्वि गेहूँ मय बारदाना को राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना–पत्र 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 स्वीकार किया जाता है। जब्तशुदा गेहूँ मय बारदाना राजसात **(Confiscate)** किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 07 नवम्बर, 2017 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा